

// प्रेस विज्ञप्ति //

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) अंतर्गत जिले में रिक्त संविदा पदों पर दावा आपत्ति सूचना

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) अंतर्गत जिले में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के संबंध में कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/564/मबावि/डीसीपीयू/2016-17 रायगढ़, दिनांक 10/11/2017 के माध्यम से दिनांक 30/11/2016 तक कार्यालयीन समयावधि में आवेदन आमंत्रित किया गया था जिसमें आंशिक संसोधन करते हेतु आउटरीच वर्कर अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) संविदा पद हेतु कार्यालयीन प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक/304/मबावि/डीसीपीयू/2017-18 रायगढ़, दिनांक 01/07/2017 के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई 2017 तक कार्यालयीन समयावधि में आवेदन आमंत्रित किया गया था। उक्त संविदा पदों पर पात्र अपात्र की प्रारंभिक सूची कार्यालयीन सूचना पटल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट www.cg.nic.in/raigarh देखी जा सकती है।

किसी भी आवेदक को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास रायगढ़ में दिनांक 10-01-2018 तक कार्यालयीन समयावधि सायं 05:30 तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डॉक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टीप- एक से अधिक पद हेतु दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक दावा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करने पर ही दावा आपत्ति मान्य होगा।

(व्यक्त समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
(सदस्य, सचिव चयन समिति)
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/386/मबावि/डीसीपीयू/2017-18,
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक 27/12/2017

01. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि प्रेस विज्ञप्ति जिले के किन्ही 03 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
04. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि दावा आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र की प्रारंभिक सूची, सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा आधार अधिनियम 2016 का पालन करते हुए बनाया गया है।
अतः जिले के वेबसाइट www.cg.nic.in/raigarh पर अपलोड करने का कष्ट करे।
05. सर्व अध्यक्ष/सदस्य, जिला स्तरीय चयन समिति की ओर सूचनार्थ।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
(सदस्य, सचिव चयन समिति)
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायगढ़ (छ.ग.)